छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 07 फरवरी, 2024 (माघ 18,1945)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार :–

(i) अधिसूचना क्रमांक 101/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 21 फरवरी, 2023, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2023,

(ii) अधिसूचना क्रमांक 99/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 13 मार्च, 2023, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (तृतीय संशोधन), 2023,

(iii) अधिसूचना क्रमांक 102/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 10 मई, 2023, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रकिया तथा निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023,

(iv) अधिसूचना क्रमांक 104/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023,

(v) अधिसूचना क्रमांक 105/छ.रा.वि.नि.आ./2023, दिनांक 6 सितम्बर, 2023, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 तथा

(vi) अधिसूचना क्रमांक 106/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 6 अक्टूबर, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(2) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :–

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022–23,

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022–23,

(iii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022–23 तथा

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री राजेश मूणत, सदस्य, कोल परिवहन व उससे संबंधित परमिट तथा अन्य स्वीकृति को ऑन लाईन नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, जिला–सुकमा के टेकलगुड़ेम में नक्सली मुठभेड़ में तीन जवानों के शहीद होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, द्वारा दिनांक 05 फरवरी,2024 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

"माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 06 फरवरी, 2024